

**E-Mail**

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संचिका सं०- 02/भू0अ0नि0 (1) यो0बजट (योजना)-02/2022.....1142

प्रेषक,

जय सिंह, मा०प्र०से०  
निदेशक,  
भू-अभिलेख एवं परिमाण,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी,  
पटना/सारण (छपरा)/मुजफ्फरपुर/दरभंगा/गया/वैशाली (हाजीपुर)/पूवी चम्पारण (मोतीहारी)  
भोजपुर(आरा)/बक्सर/रोहतास/गोपालगंज/भागलपुर/कैमूर(भभूआ)/औरंगाबाद/  
नवादा/सिवान

बन्दोबस्त पदाधिकारी,

बाँका/शिवहर/सहरसा/बेगूसराय/लखीसराय/जहानाबाद/अरवल/किशनगंज/अररिया/  
कटिहार/सीतामढ़ी/सुपौल/मधेपुरा/जमुई/शेखपुरा/नालन्दा/प०चम्पारण (बेतिया)  
पूर्णियाँ/खगड़िया/मुंगेर

प्राचार्य,

राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान,  
शास्त्रीनगर/बोधगया

सहायक निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण

पटना दिनांक :- 13-05-2022

विषय :- मुख्य शीर्ष- 2029-भू-राजस्व-उप मुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष 102- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष -0101- सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु प्रथम चार माह हेतु आपके नियंत्रणाधीन कार्यालय में पदस्थापित पदाधिकारी/कर्मियों को वेतनादि मद में कुल- 7,80,08,300/- (सात करोड़ अस्सी लाख आठ हजार तीन सौ) रुपये मात्र का आवंटन निम्नानुसार निर्गत किया जाता है :-

क्र०स०	कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष					योग
		01 01 वेतन	01 03 जी०या०भ०	01 04 म०कि०भ०	01 05 परिवहन भत्ता	01 06 चि०भत्ता	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, पटना	3100000	630000	460000	160000	55000	4405000
2	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, सारण (छपरा)	630000	142000	46000	10000	14000	842000
3	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	387000	95000	31000	7600	7400	528000
4	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, दरभंगा	2100000	433000	153000	36000	40000	2762000
5	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, गया	1350000	330000	110000	25000	31000	1846000

क्र०स०	कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष					योग
		01 01 वेतन	01 03 जी०या०म०	01 04 म०कि०म०	01 05 परिवहन भत्ता	01 06 चि०भत्ता	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर)	990000	231000	82500	0	13200	1316700
7	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी)	300000	37000	23000	0	4000	364000
8	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, भोजपुर (आरा)	1300000	220000	97000	13000	20000	1650000
9	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, बक्सर	2540000	70000	25000	0	6000	2641000
10	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, रोहतास	124000	27000	10000	0	2000	163000
11	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, गोपालगंज	527000	132000	42000	0	8000	709000
12	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, भागलपुर	900000	188000	68000	15000	17000	1188000
13	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, कैमूर	274500	96000	22000	0	4000	396500
14	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, औरंगाबाद	274500	96000	22000	0	4000	396500
15	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, नवादा	465000	110000	39000	0	9000	623000
16	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, सिवान	330000	81000	56000	0	6000	473000
17	बन्दोबस्त पदाधिकारी, बाँका	2200000	427000	144000	0	62000	2833000
18	बन्दोबस्त पदाधिकारी, शिवहर	1500000	410000	181000	85000	48000	2224000
19	बन्दोबस्त कार्यालय, सहरसा	2600000	487000	178000	0	32000	3297000
20	बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय	3800000	764000	252000	59000	70000	4945000
21	बन्दोबस्त कार्यालय, लखीसराय	1721000	430000	113000	0	43000	2307000
22	बन्दोबस्त कार्यालय, जहानाबाद	2000000	411000	126000	0	40000	2577000
23	बन्दोबस्त कार्यालय, अरवल	2000000	364000	120000	0	37000	2521000
24	बन्दोबस्त कार्यालय, किशनगंज	1810000	311000	140000	0	40000	2301000
25	बन्दोबस्त कार्यालय, अररिया	1400000	310000	93000	0	21000	1824000
26	बन्दोबस्त कार्यालय, कटिहार	1900000	410000	131000	20000	30000	2491000
27	बन्दोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी	1900000	426000	140000	26000	37000	2529000

क्र०स०	कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष					योग
		01 01 वेतन	01 03 जी०या०भ०	01 04 म०कि०भ०	01 05 परिवहन भत्ता	01 06 चि०भत्ता	
1	2	3	4	5	6	7	8
28	बन्दोबस्त कार्यालय, सुपौल	2700000	665000	217000	0	57000	3639000
29	बन्दोबस्त कार्यालय, मधेपुरा	2200000	154000	82000	0	31000	2467000
30	बन्दोबस्त कार्यालय, जमुई	1800000	528000	122000	0	35000	2485000
31	बन्दोबस्त कार्यालय, शेखपुरा	2210000	567000	130000	0	48000	2955000
32	बन्दोबस्त कार्यालय, नालन्दा	2920000	633000	250000	61000	61000	3925000
33	बन्दोबस्त कार्यालय, प०चम्पारण (बेतिया)	2000000	618000	110000	17000	33000	2778000
34	बन्दोबस्त कार्यालय, पूर्णियाँ	1600000	331000	168000	32000	30000	2161000
35	बन्दोबस्त कार्यालय, खगड़िया	1331600	260000	76000	0	22000	1689600
36	बन्दोबस्त कार्यालय, मुंगेर	2427000	510000	173000	34000	45000	3189000
37	राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया	900000	152000	67000	0	22000	1141000
38	राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर	250000	150000	100000	20000	8000	528000
39	सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय	500000	250000	120000	20000	8000	898000
कुल योग :-		59261600	12486000	4519500	640600	1100600	78008300

**(सात करोड़ अस्सी लाख आठ हजार तीन सौ रुपये मात्र)**

- यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 के कड़िका-12 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
- अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/ उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड 40 - 2029001020101 अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
- आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी निदेशालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या 11650 दिनांक 21.12.2020 के साथ संलग्न प्रपत्रों में प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
- बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा सकें।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।



9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
10. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को ही दी जा रही है।
11. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
12. आवंटित राशि से बकाया वेतन (एरियर) राशि की निकासी न की जाय। इसके लिए कर्मिवार ब्यौरा सहित अलग से राशि की माँग की जाय।
13. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)  
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0(1)यो0बजट (योजना)-02/2022.....1142 पटना, दिनांक :- 13-05-2022  
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0(1)यो0बजट (योजना)-02/2022.....1142 पटना, दिनांक :- 13-05-2022  
प्रतिलिपि:- संबंधित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0(1)यो0बजट (योजना)-02/2022.....1142 पटना, दिनांक :- 13-05-2022  
प्रतिलिपि:- सहायक निदेशक/लेखा शाखा, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0(1)यो0बजट (योजना)-02/2022.....1142 पटना, दिनांक :- 13-05-2022  
प्रतिलिपि :- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0(1)यो0बजट (योजना)-02/2022.....1142 पटना, दिनांक :- 13-05-2022  
प्रतिलिपि :- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0 सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को विभागीय वेबवार्ड पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण